न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, खूँटी

दा०खा०अपील वाद सं० – 67/2019-2020

अपीलकर्त्ता/वादी - विधावती देवी बनाम अंचल अधिकारी, खूँटी /प्रतिवादी

02/07/21

आदेश

यह वाद आवेदिका विधावती देवी पति अशोक कुमार गुप्ता ग्राम अपर हटिया, थाना जगरनाथपुर, जिला राँची के द्वारा अंचल अधिकारी, खूँटी के दाखिल खारिज वाद संख्या – **1255 R27/2018–2019** में **दिनांक 11.02.2019** को पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। विवादित भूमि का विवरण निम्नवत् है:–

भूमि का विवरण :-

ग्राम	थाना/थाना न॰	खाता सं॰	प्लॉट सं0	रकबा (एकड़ में)
जियारप्पा	खूँटी /227	02	891	0.42 एकड़

प्राप्त आवेदन के आलोक मे वाद दायर कर विधिवत् संबंधित पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं उनसे अपने पक्ष में कारण पृच्छा एंव कागजातों/जबाब की मांग की गयी। प्रथम पक्ष के द्वारा न्यायालय में समर्पित आवेदन/एवं अपने पक्ष में कागजात दाखिल किया गया है।

प्रश्नगत् मामले में सभी संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि अंचल अधिकारी, खूँटी ने नामान्तरण मुकदमा संख्या 1255/R27/2018–2019 दिनांक 11.02.2019 को पारित आदेश मे उल्लेखित किया है कि Deed मे छेड़छाड़ की गयी है Deed में संबंधित पक्ष का हस्ताक्षर नहीं पाया गया एवं भूमि का मुल्य भी Deed और शपथ पत्र में अलग–अलग दिखाया गया है। उक्त आलोक में सुधारनामा डीड की मांग करते हुए दाखिल–खारिज अस्वीकृत कर दिया गया है।

उपरोक्त परिस्थिति में प्रथम पक्ष ने इस न्यायालय में अपील आवेदन के माध्यम से अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने एवं अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए नामन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। परन्तु यह वाद U/S 5 of the Limitation Act 1963 के अंतर्गत कालबाधित पाया गया आवेदक ने Section 5 के तहत आवश्यक कारण दर्शाते हुए आवेदन स्वीकार करने का अनुरोध किया है उक्त U/S 5 of the Limitation Act 1963 के तहत प्राप्त आवेदन के आवलोकन एवं कालछांति बिन्दु पर विचार करने के उपरांत आवेदन सुनवाई हेतु स्वीकार किया जाता है।

तत्पश्चात् प्रश्नगत् मामले मे यह देखा गया है कि अंचल अधिकारी, खूँटी ने नामान्तरण मुकदमा संख्या 1255/R27/2018–2019 में दिनांक 11.02.2019 को यह उल्लेख करते हुए कि मुल Deed मे छेड़छाड़ की गयी है Deed में संबंधित पक्ष का हस्ताक्षर नहीं पाया गया एवं भूमि का मुल्य भी Deed और शपथ पत्र में अलग–अलग दिखाया गया है। उक्त आलोक में सुधारनामा Deed की मांग करते हुए दाखिल–खारिज अस्वीकृत कर दिया गया है।

उपरोक्त तथ्य के आलोक में आवेदक द्वारा अपील आवेदन के साथ Deed की सच्ची प्रतिलिपि न्यायालय मे दाखिल किया है जो अभिलेख के साथ संलग्न है।

अतः प्रथम पक्ष ने निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपने पक्ष में डीड की छायाप्रति में सच्ची प्रतिलिपि समर्पित किया है। ऐसी स्थिति में दा0 खा0 वाद संख्या **1255** R27/**2018–2019** दिनांक **11.02.2019** को पारित आदेश के मामले में अंचल अधिकारी, खूँटी को Remand करते हुए निदेश दिया जाता है कि सम्पूर्ण जॉच एवं आपत्ति बिन्दु पर नियमसंगत सुनवाई कर आपेक्षित आदेश पारित किया जाए।

लेखापित एंव संशोधित।

भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता,
खूँटी।

Digitally signed by JITENDRA MUNDA
Date: 2021.08.17 14:07:45 +05:30
Location: 10.93.43.4